एच एस इ गस सफ़टी एडवाइस लाइन 0 8 0 0 3 0 0 3 6 3

(केवल अंग्रेज़ी बोलने वाले सलाहकार)

समस्या

हर साल लगभग 30 लोग कार्बन मोनोक्साइड गैस के विषैले प्रभाव के कारण मरते हैं जो कि गैस के उपकरणों और ऐसे फ़्लूज़ (यानी धुँए, गैस या गर्मी बाहर पहुँचाने की नलियाँ) से पैदा होती है जो सही तरह से नहीं लगाए गए हैं या जिनकी देखरेख ठीक तरह से नहीं की जाती है। कई अन्य लोग भी अस्वस्थ होते हैं। कोयला, लकड़ी या तेल जैसे दूसरे ईंधन की तरह, जब गैस ठीक से नहीं जलती है, तब कार्बन मोनोक्सइड गैस पैदा होती है जो कि विषैली होती है।

आप उसे देख नहीं सकते। आप उसका स्वाद नहीं ले सकते। आप उसे सूंघ तक नहीं सकते हैं। लेकिन चंद घंटों ही में, बिना खतरे की घंटी बजाए, कार्बन मोनोक्साइड किसी की जान ले सकती है।

सोए रहने पर आपको ख़ास ख़तरा होता है क्योंकि आप कार्बन मोनोक्साइड गैस के विष के फ़ेलने के आरंभिक लक्षणों को नहीं पहचान पाते हैं। इसमें शामिल हैं थकावट, उनींदापन, सर का दर्द, उकाई आना, छाती और पेट में दर्द होना। ये लक्षण कई साधारण बीमारियों से मिलते-जुलते हैं और फ़्लू या मामूली थकावट की वजह से होने का भ्रम पैदा कर सकते हैं।

अगर आप या आपके परिवार को ऊपर बतााए गए लक्षण महसूस होते हैं और आपको लगता है कि ये कार्बन मोनोक्साइड की वजह से हो रहा है, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप तुरंत मेडिकल सलाह लें। आपके डाकटर को आपके खून और श्वास के नूमने की जाँच करनी होगी। कार्बन मोनोक्साइड बहुत जल्दी ख़ून से बाहर निकल जाता है, इसलिए हो सकता है कि अगर इस गैस के संपर्क में आने की अवधि की समाप्ति के चार घंटे बाद जाँच की जाती है, तो जाँच कापरिणाम सही न निकाले।

आपको कार्बन मोनोक्सााइड के विष से प्रभावित होने का ख़तरा है अगर:

- आपका उपकरण सही तरह से नहीं लगाया गया है ;
- आपका उपकरण ठीक से काम नहीं कर रह है ;
- आपके उपकरण की सुरक्षा जाँच नहीं हुई है या उसका रखरखाव नियमित रूप से नहीं हुआ है ;
- आपके कमरे में पर्याप्त ताज़ी हवा नहीं है ;
- आपकी चिमनी या फ़्लू अवरूद्ध हो जाती है ;
- आप नान-कूरगी रजिस्टर्ड इंजीनियर्स (non-CORGI registered) यानी ऐसे इंजीनियर जो कूरगी से पंजीकृत नहीं हुए हैं, से अपने उपकरण लगवाते या उनकी देखरेख करवाते हैं।

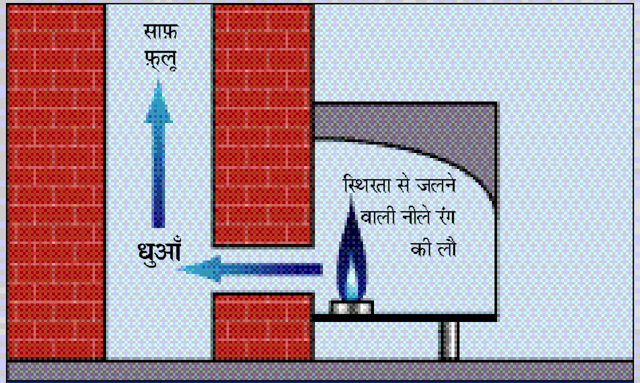

गस का सर्राक्षत उपकरण

आपको विशेष ख़तरा है अगर आप ऐसे कमरे में सोतें हैं जहाँ कोई ऐसे उपकरण को जलाकर रख दिया जाता है जो रूम सील्ड यानी बंद तरह के नहीं हैं (जैसे कि गर्मी पैदा करने वाले कोई कंवैंशनल यानी गैस से चलने वाले पुराने तरह के उपकरण) (इस तरह के उपकरणों से निकलने वाले धुएँ, गैस या गर्मी बाहर पहुँचाने के निकास (फ़्लू आउटलैट्स) किसी इमारत की छत या उससे भी ऊंचे स्तर पर नहीं बल्कि सामान्यत: उसकी बाहर की किसी दीवार पर नीचे की ओर होते हैं और उनको जाली लगाकर सुरक्षित रखा जाता है।)

उत्तर

कभी भी गैस के किसी ऐसे उपकरण को इस्तेमाल न कीजिए जिसके बारे में आपको लगता है कि वह सही तरह से काम नहीं कर रहा है। ऐसे संकेत जिनके प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं पीली या नारंगी रंग की लौ (यह बात फ़्यूएल इफ़ैक्ट फ़ायर्ज़ यानी गैस के ऐसे उपकरणों पर नहीं लागू होती है जो वास्तविक आग का भ्रम पैदा करने के लिए इन रंगों की लौ का प्रदर्शन करते हैं), कालिख या उपकरण के आस-पास धब्बों का होना और पायलट लाइट्स या संकेत देने वाले प्रकाश का बार-बार बुझ जाना।

कभी भी अपने उपकरण को ढ़किए मत और न उसमें से निकलने वाली गरम हवा के निकास द्वारों को अवरुद्ध कीजिए ;

कभी भी हवादारी के लिए लगाए गए ग्रिलों (लोहे की जाली) या ख़ास तरह के ईटों को अवरुद्ध न कीजिए ;

कभी भी बाहर लगे हुए (फ़्लूज़) यानी धुँए, गैस या गर्मी को बाहर पहुँचाने के निकासों को न बंद कीजिए न उन्हें ढ़किए।

सावधान : जब भी किसी ऐसे कमरे में हवा को रोकने, भीतरी छत या हवा बाहर करने के पंखे, डबल ग्लेज़िंग या कंज़रवैटरी के ऐक्सटेंशन फ़िट किए जाते हैं

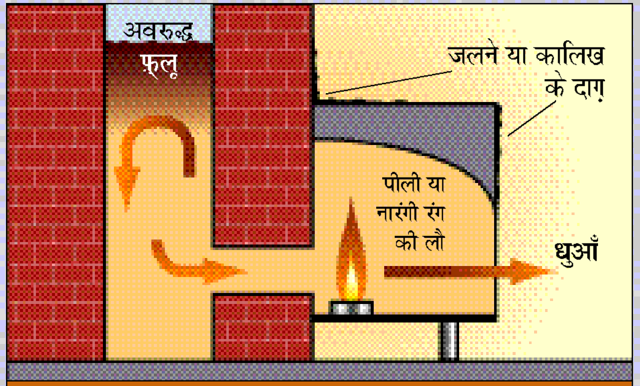

गस का कोइ खातरनाक उपकरण

जिसमें गैस का कोई उपकरण है, तब यह ज़रूरी है कि यह काम पूरा होने के बाद उस उपकरण को जाँचा जाए।

गैस का प्रयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने उपकरणों की सुरक्षा जाँच किसी कूरगी रजिस्टर्ड उपकरण लगाने वाले व्यक्ति से कम से कम हर 12 महीने की अवधि के बाद कराते रहें।

हो सकता है कि आपको मुफ़्त सुरक्षा जाँच कराने का अधिकार हो।
अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, आपको कोई दीर्घकालिक बीमारी हैं, आप विकलाँग हैं, बहरे हैं या कान से कम सुनने वाले व्यक्ति हैं, अंधे हैं या आपको आँख से कम दिखाई देता है, तो आपका अधिकार है कि आपका नाम आपके सप्लाई करने वाले की प्रायोरिटी सर्विस रेजिस्टर (सेवा संबंधी प्राथमिकता रेजिस्टर) में दर्ज किया जाए। इसमें नाम लिखवाने के लिए कोई दाम नहीं देने होते हैं और अगर आपका नाम एक बार दर्ज हो जाता है, आपको मिलने वाले अन्य अधिकारों में हर साल एक मुफ़्त गैस सुरक्षा जाँच करवाने का हक़ भी शामिल होगा (अगर आप किसी के किरायेदार हैं, तो आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि सुरक्षा जाँच करवाना आपके मकानमालिक का कर्त्तव्य होता है)। अधिक जानकारी के लिए अपने गैस के बिल के पीछे देखिए।

कार्बन मोनोक्साइड के अलार्म (ख़तरे के संकेत देने की घंटियाँ) सुरक्षित रहने में सहारा देती हैं, पर इनके बारे में यह **नही** समझना चाहिए कि उनको लगवा लेने के बाद अपने गैस के उपकरणों को किसी कूरगी रजिस्टर्ड उपकरण लगवाने वाले व्यक्ति से सही तरह से फ़िट करवाने या रखरखाव करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। अगर आप कार्बन मोनोक्साइड अलार्म ख़रीदने का निर्णय लेते हैं, तो सुनिश्चित कीजिए कि वह सुरक्षा के चालू स्तरों (बीएस 7860 [BS 7860] या बीएस ईएन 50291[BS EN 50291]) के अनुकूल है और उसपर काइटमार्क का निशान लगा हुआ है। शंका होने पर किसी कर्मचारी से सलाह लीजिए। हमेशा ही निर्माता द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन कीजिए।

अगर आपको गैस की महक आए, या आपको शक हो कि गैस रिस रही है, तो आपको तुरंत ही निम्नलिखित करना चाहिए :

- सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को खोल दीजिए।
- (अगर आपको पता है कि मीटर कंट्रोल वैल्व कहाँ है), तो वहाँ से गैस की सप्लाई बंद कर दीजिए। अगर गैस रिसती जाए, तो ट्राँस्को (Transco) का गैस इमरजैंसी फ़्रीफ़ोन नंबर (Gas Emergency Freephone Number) 00800 111 999 मिलाइए।
- कार्बन मोनोक्साइड के रिसने की शंक होने पर ऊपर बताए गए क़दम केवल तब न लीजिए जब आप यह न पता कर सकें कि गड़बडी पैदा करने वाला उपकरण कौन सा है। ऐसा होने पर आपको किसी ऐसे इंस्टालर (फ़िट करने वाले से) से जाँच-पड़ताल और मरम्मत करने को कहना चाहिए जो कूरगी रजिस्टर्ड है।

क़ानून

गैस सेफ़्टी (इंस्टालेशन ऐंड यूज़) रेग्युलेशंज़ 1998 के अनुसार गैस उपभोक्ताओं, उपकरण फ़िट करने वालों, सप्लाई करने वालों और मकानमालिकों के कर्त्तव्य तय किए गए हैं। ये रेग्युलेशंज़ जलने की क्रिया वाले उपकरण की सुरक्षा के अन्य रेग्युलेशंज़ से जुड़े हैं, जैसे कि बिल्डिंग रेग्युलेशंज़ (इमारत के निर्माण से जुड़े नियम) जो कि हवादारी और फ़्लूज़ के लिए मानक हैं। आपकी अपनी सुरक्षा के लिए याद रखिए :

- क़ानून के अनुसार अपने काम के अंतर्गत गैस के उपकरणों या उनकी फ़िटिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्यकुशल और कूरगी (काउंसिल फ़ार रेजिस्र्ड गैस इंस्टालर्स (the Council for Registered Gas Installers) के साथ रजिस्टर्ड होना होगा। हमेशा ही जाँच लीजिए कि आपके यहाँ गैस का काम करने वाला रजिस्टर्ड है और यह पता करने के लिए उससे कहिए कि वह आपको अपना चालू कूरगी फ़ोटो आइ डी काई दिखाए जिसमें उपकरण फ़िट करने वाले की तस्वीर, उसका कूरगी रेजिस्ट्रेशन नंबर, वह जिस नाम से अपना व्यवसाय चलाता है वह नाम और उसके कार्ड की अंतिम तारीख़ होती है। इस कार्ड के पीछे यह विवरण होते हैं कि वह गैस का कौन-कौन सा काम कर सकता है।

आप काम के साधारण समय पर भी कूरगी से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं :
01256 372300 या कूरगी की वैबसाइट देख सकते हैं जिसका पता है :
www.corgi-gas.com;

...आगे देखें

- क़ानून के अनुसार केवल एक कार्यकुशल व्यक्ति ही गैस के उपकरणों पर या उनकी फ़िटिंग का काम कर सकता है। गैस के उपकरण पर या उनकी फ़िटिंग का काम अपने आप कर लेना ख़तरे से ख़ाली नहीं होता और संभव है कि वह गैरक़ानूनी भी हो ;

- क़ानून के अनुसार आपको कोई भी ऐसे गैस के उपकरण या फ़िटिंग नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिनके बारे में आप जानते हैं या आपको शंका है कि वे असुरक्षित हैं। कूरगी, द्वारा एच एस ई (HSE) ने फ़िटिंग करने वाले सभी रेजिस्टर्ड लोगों से कह दिया है कि उन सभी गैस के उपकरणों और फ़िटिंग्स का कनैक्शन काट दें जो इतने ख़तरनाक हैं कि उनके इस्तेमाल से किसी की जान को ख़तरा हो सकता है। अगर गैस के उपकरण या फ़िटिंग के कनेक्शन काटने के बारे में आप से अनुमति माँगी जाती है, तो आपकी अपनी और दूसरों की भी सुरक्षा के लिए यह अच्छा होगा कि आप अनुमति दे दें। इस तरह के उपकरण या फ़िटिंग को दोबारा चालू करने के पूर्व, आपको उसे किसी कूरगी रेजिस्टर्ड फ़िट करने वाले व्यक्ति से ठीक करवाना होगा ;

- क़ानून के अनुसार गैस फ़िटिंग और फ़्लू के अच्छे रखरखाव और हर 12 महीनों की अवधि के बाद गैस के उपकरण और फ़्लूज़ की सुरक्षा जाँच करवाने की ज़िम्मेदारी मकानमालिकों की है। उनको कम से कम दो साल तक सुरक्षा जाँच के रिकार्ड संभाल कर रखने होंगे और मौजूदा किराएदारों को और नए किराएदारों को उनके मकान में आकर रहने लगने के पहले सबसे ताज़ा सर्टिफ़िकेट (प्रमाण पत्र) देने होंगे। अगर आप खुद उपकरण के मालिक हैं, तो आप उसके रखरखाव और सुरक्षा जाँच के लिए ज़िम्मेदार हैं ;

- क़ानून के अनुसार, रूम सील्ड वाले गैस के उपकरणों को छोड़कर, दूसरे सभी उपकरण जैसे कि फ़ायर्स, बायलर्स और हीटरों के सोने के कमरे में लगवाने पर प्रतिबंध हैं। ये प्रतिबंध केवल उन उपकरणों पर लागू हैं जो 1 जनवरी 1996 के बाद फ़िट किए गए थे और उनपर भी जो ऐसे किराए पर लगे कमरों में फ़िट किए गए हैं जो 31 अक्तूबर 1998 के बाद सोने के कमरों में परिवर्तित किए गए हैं। जो उपकरण रूम सील्ड तरह के नहीं हैं, जैसे कि सामान्य कवैंशनल गैस के फ़ायर्स जो 14 किलोवाट्स या इससे कम पावर के हैं, वे भी फ़िट हो सकते हैं, अगर उनमें एक ऐसा यंत्र लगा हुआ है जो धुएँ के ख़तरनाक स्तर तक पहुँचने के पहले ही खुदबखुद गैस की सप्लाई बंद कर दें। लेकिन, 14 किलोवाट्स के ऊपर के उपकरणों में केवल ऐसे उपकरण जो रूम सील्ड तरह के हैं, ऐसी जगहों पर लगाए जा सकते हैं।

- क़ानून के अनुसार, 31 अक्तूबर 1998 से किसी कमरे में पानी तुरंत गरम करने वाले हीटर केवल तब लगाए जा सकते हैं अगर वे रूम सील्ड वाली किस्म के हैं या उनमें ऐसा यंत्र फ़िट कियागया है जिससे कि विषैली गैस की मात्रा ख़तरनाक स्तर तक पहुँचने के पहले ही वह गैस की सप्लाई को खुदबखुद काट कर सुरक्षा दे सके ;

- क़ानून के अनुसार, गैस इधर-उधर पहुँचाने वालों/आपातकालीन सेवा प्रदान करने वालों (इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स, ई एस पी) को आपातकालीन परिस्थिति पैदा हो जाने पर स्थिति को सुरक्षित बनाना ज़रूरी है। उनको गैस रिसने के कारण का पता करना होगा और 12 घंटे के अंदर गैस के रिसने को रोक देने का प्रबंध करना होगा। अगर कार्बन मोनोक्साइड रिसने लगे या उसके रिसने की शंक हो, तो उनको उपभोक्ताओं की शिकायतों का जवाब देना चाहिए और स्थिति को सुरक्षित बनाना चाहिए।

विस्तृत अध्ययन

अगर आप इस विषय में और विवरण चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रकाशन सहायक लगेगा: सेफ़्टी इन द इंस्टालेशन ऐंड यूस आफ़ गैस सिस्टम्स ऐंड अप्लाएंसिज़। गैस सेफ़्टी [इंस्टालेशन ऐंड यूस] रैग्युलेशंज़ 1998) एप्रूव्ड कोड आफ़ प्रैक्टिस ऐंड गायडेंस L56 (दूसरा संस्करण) (Safety in the installation and use of gas systems and appliances, Gas Safety (Installation and Use) Regulations 1998. Approved Code of Practice and guidance L56 (Second edition) HSE Books 1998 ISBN 0 7176 1635 5.

उपप्रधान मंत्री के कार्यालय ने निम्नलिखित पत्रक तैयार किया है: डेंजर : कार्बन मोनोक्साइड पायज़निंग। सालिड फ़युएल, वुड ऐंड ऑइल बरनिंग अप्लायेंसिज़। गेट दैम चेक्ड, स्वीप यौर चिमनीज़ ऐंड बी सेफ़ 1999 (Danger: Carbon monoxide poisoning. Solid fuel, wood and oil burning appliances. Get them checked, sweep your chimneys and be safe 1999.) यह यहाँ से उपलब्ध है: Free Literature Service, PO Box 236, Wetherby, West Yorkshire LS23 7NB टैलिफ़ोन: 0870 1226 236, फ़ैक्स: 0870 1226 237, टैक्स्टफ़ोन: 0870 1207 405, या आप उसे इस वैबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं: www.safety.odpm.gov.uk/bregs/br19.htm

अधिक जानकारी

निम्नलिखित पते से आपको दाम देकर और मुफ़्त प्रकाशन मेल आर्डर द्वारा उपलब्ध हो सकते हैं:
HSE Books, PO Box 1999,
Sudbury, Suffolk CO10 2WA
टैलिफ़ोन: 01787 881165 फ़ैक्स: 01787 313995
वैबसाइट: www.hsebooks.co.uk
(एच एस ई के दाम देकर ख़रीदने वाले प्रकाशन किताबों की दुकानों से भी उपलब्ध हो सकते हैं और मुफ़्त पत्रकों को एच एस ई की वैबसाइट : www.hse.gov.uk. से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स (ब्रितानी स्तरों) के लिए संपर्क का पता है: BSI Customer Services, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL
टैलिफ़ोन: 020 8996 9001
फ़ैक्स: 020 8996 7001
वैबसाइट: www.bsi-global.com

स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जानकारी के लिए एच एस ई इंफ़ोलाइन को इस नंबर पर फ़ोन कीजिए: 08701 545500 या 02920 859260 पर फ़ैक्स कीजिए। उनके ई-मेल का पता है: hseinformationservices@natbrit.com

और पत्र लिखकर भेजने का पता है:
HSE Information Services, Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG.
एच एस ई गैस सेफ़्टी वैबसाइट:
www.hse.gov.uk/gas/index.htm

एच एस इ गस सफ़टो एडवाइस लाइन
0 8 0 0 3 0 0 3 6 3

इस मार्गदर्शिका को हैल्थ ऐंड सेफ़्टी एग्ज़ेकेटिव ने जारी किया है। इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है और आप कोई भी अन्य क़दम उठा सकते हैं। लेकिन अपाका इस मार्गदर्शिका का पालन करना साधारणत: क़ानून के मुताबिक चलने के लिए पर्याप्त होगा। हैल्थ ऐंड सेफ़्टी के इंस्पैक्टर्ज़ क़ानून का पालन करवाने की कोशिश करते हैं और इस मार्गदर्शिका को अच्छे अनुपालन के आदर्श के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।

©क्राउन कापीराइट। विज्ञापन देने, अनुमोदन करने या व्यावसायिक कार्यों को छोड़कर, इस प्रकाशन की प्रतियाँ बेरोकटोक बनाई जा सकती हैं। प्रथम प्रकाशन 10/02, कृपया एच एस ई को जानकारी के स्रोत के रूप में स्वीकार कीजिए।
INDG238 (rev 2) 10/02 C7500

वर्ष 2002 संशोधित संस्करण

HSE
Health & Safety Executive

गैस के उपकरण

उनकी जाँच कराइए
उनको सुरक्षित रखिए

इस पत्रक में ज़रूरी और नई जानकारी है।
कृपया इसे पढ़िए।
यह आपकी जान बचा सकता है।

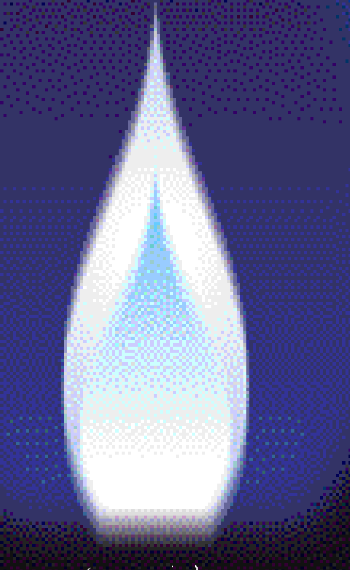

एच एस इ गस सफ़टो एडवाइस लाइन (एच एस इ को गस सरक्षा सलाहकारी टलिफ़ान लाइन)
0 8 0 0 3 0 0 3 6 3